



कायालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,लो०नि०वि०,अस्कोट(पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com

दिनांक 1 - 12 - 2020

पत्रांक- 1901 / 13सी०

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़
वनप्रभाग, पिथौरागढ़।

विषय:-

मा०मु० घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अस्कोट सैन्थल से मचौरा(शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी०) में आनलाईन माध्यम से लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में। (FP/UK/ROAD/50469/2020)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में उक्त मोटर मार्ग में दिनांक 16.10.2020 को ऑनलाईन माध्यम से लगाई गई आपत्तियों का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत है:-

1	The name of the competent authority (i.e. the person who signed the authority letter) not mentioned in the authority letter. Kindly mentioned the same as the name and designation of the competent authority is to be mentioned as per the guidelines	वनभूमि प्रस्ताव को ऑनलाईन करने का कार्य इस खण्ड के अन्तर्गत कार्यालय आदेश के क्रम में खण्ड में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ता श्री सितेन्द्र पाल कोहली द्वारा किया जाता है।
2	As clear from the aerial distance certificate the concerned proposal is within 10 km distance from the protected area. Kindly upload the annexure 26 with comments and signed by CWLW.	Aerial distance NOC मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक संख्या 1184/12-1 देहरादून दिनांक 14.10.2020 द्वारा प्राप्त कर ऑनलाईन अपलोड कर आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।
3	By analysing KML file of the CA area uploaded, 3 patches have total area 1.83 ha while the CA area required and mentioned for the same is 6.23 ha. Kindly correct the KML file, so, that the total area of all patches commensurate to 6.23 ha.	CA हेतु KML फाईल पुनः गठित कर ऑनलाईन अपलोड कर आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।
4	In Form A, Part I-L- Under the details of the land identified for CA- at (v)- (v). Scanned copy of the map of the land identified for creation of Compensatory Afforestation prepared by using GPS or Total Station. Kindly upload the correct document	आपत्ति का निराकरण ऑनलाईन माध्यम से कर दिया गया है।
5	Kindly upload the checklist/ fact sheet as additional information and upload all the annexure as per the detail mentioned in the check list by mentioning their name in the remark column.	Checklist ऑनलाईन अपलोड कर आपत्ति का निराकरण कर दिया गया है।

अतः उक्त आपत्तियों में आपके स्तर से होने वाली आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

(इ० आशुतोष)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

अस्कोट(पिथौरागढ़)

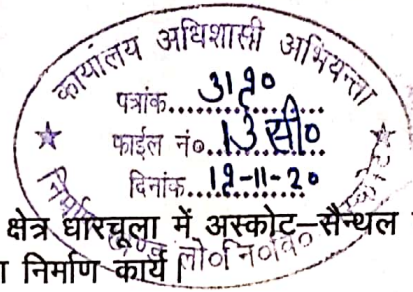
पत्रांक / 13 सी० तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्द्रानगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता तृतीय वृत्त लो०नि०वि० पिथौरागढ़।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमार्थ वृत्त, अल्मोडा को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० अस्कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
अस्कोट(पिथौरागढ़)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

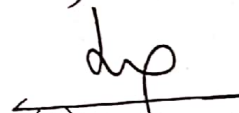


परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र धारचूला में अस्कोट-सैन्थल से मोचौरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक-1234/12-1 दिनांक 28.09.2020 के द्वारा धारचूला में अस्कोट-सैन्थल से मोचौरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में निम्नप्रकार आख्या उपलब्ध करायी गयी है :-

1. उक्त मोटर मार्ग जनपद पिथौरागढ़ के विकासखण्ड धारचूला में स्थित है। जिसकी अस्कोट वन्यजीव विहार से हवाई दूरी 3.60 कि०मी० है।
2. उक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा जो Alignment/समरेखण प्रस्तावित किया गया है, उस पर सड़क निर्माण कार्य कराये जाने में विभिन्न प्रकार/माप के Culvert का निर्माण कार्य किया जायेगा, जो कि वन्यजीवों के सुलभ आवागम (Transit/Movement) में हितकारी (Beneficial) होगा।
3. अस्कोट वन्यजीव विहार में कोई भी Large mammal जैसे हाथी नहीं पाया जाता है, जिस कारण मोटर मार्ग के दौरान Overpassed अथवा Underpasses निर्माण किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
4. उक्त मोटर निर्माण किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्रों में वनों का घनत्व कम होने से Line of sight स्पष्ट है, जो कि वन्यजीवों के स्वच्छन्द आवागमन हेतु सुलभ है।
5. उक्त क्षेत्र में यातायात (Traffic volume) कम है, तथा वन्यजीवों की उपस्थिति तथा घनत्व भी कम है, जिस कारण वन्यजीवों के Transit/Movement में बाधा उत्पन्न होने की संभावना भी क्षीण है।

प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ की उक्त आख्या/संस्तुति के आधार पर प्रस्तावित परियोजना निर्माण हेतु जनहित में सहमति व्यक्त की जाती है।


(जे०एस० सुहाग)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड

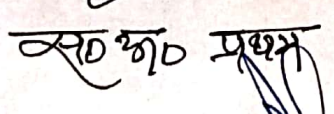
कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

85-राजपुर रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), फोन न०-0135-2742884 फैक्स-2745691 ई-मेल- cwlwua@yahoo.co.in

पत्रांक 1184 /12-1 देहरादून दिनांक 14 अक्टूबर 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़
2. अधिशासी अभियंता, लो०नि०वि०, अस्कोट पिथौरागढ़।


मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड
17/11/20


(जे०एस० सुहाग)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
उत्तराखण्ड
13/10/20